UPGK010051882026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2276/2026

संजीव कुमार सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह, उम्र करीब 41 वर्ष
निवासी–एम0आई0जी0–10, शास्त्रीनगर कालोनी, थाना चिलुआताल, जिला गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मुकदमा सं0–51/2025
धारा–419,420,467,468,471,120बी भा0 द0 सं0
थाना–कैण्ट, जनपद–गोरखपुर।

आदेश

1. अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना–पत्र, आवेदक/अभियुक्त संजीव कुमार सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध सं0–51/2025, धारा–419,420,467,468,471,120बी भा0 द0 सं0, थाना–कैण्ट, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में वांछित अभियुक्त है।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त कथन यह है कि वादी मुकदमा गजेन्द्र कुमार राय पुत्र स्व हरिनरायन राय सा नन्दानगर थाना एम्स जनपद गोरखपुर का निवासी हूँ। प्रार्थी के बगैर जानकारी के नेट या कहीं अन्य श्रोतों से प्रार्थी का फर्जी डाक्यूमेन्ट तैयार कर श्रीराम फाईनेन्स के कर्मचारियों द्वारा अपने आर्थिक लाभ के लिए वर्ष 2018 में ही अशोक सिंह नामक व्यक्ति के लोन नं GRKPRT 809260002 में मुझे गारन्टर बना दिया गया, जबकि मैं अशोक सिंह नामक व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। मैं जब अपने व्यक्तिगत जरूरतों हेतु लोन लेने बैंक गया तो पता चला कि मेरे ऊपर श्रीराम फाईनेन्स गोरखपुर का गारन्टर का लोन चल रहा है। श्रीराम फाईनेन्स के मैनेजर के मो0नं0 91406XXXXX पर बार–बार वार्ता करने पर कहते हैं कि आजकल में समाप्त कर दे रहा हूँ परन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा उपरोक्त समस्या का निराकरण नहीं हुआ। वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है अभियोजन द्वारा लगाया गया आरोप असत्य एवं निराधार है। आवेदक/अभियुक्त को मात्र परेशान व हैरान करने की नियत से फर्जी ढंग से अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया गया है जैसा कि अभियोजन द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच समझकर राय मशिवरे के बाद विधिक परामर्श से फर्जी और गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज कराया गया है। आवेदक/अभियुक्त श्रीराम फाइनेन्स में सन् 2016 से गोरखपुर ब्रान्च में

ब्रान्च मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध एक भी शिकायत दर्ज नहीं है। आवेदक/अभियुक्त अपना कार्य विधिपूर्ण ढ़ग से पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करता चला आ रहा है। श्रीराम फाइनेन्स में ऋण लेने वाले व्यक्तियों की मुलाकात कम्पनी के फिल्ड आफिसर/रिलेशन शिप एक्जिक्यूटिव से होाती है तथा ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा ही समस्त औपचारिक कार्यवाही उनके बताने पर पूर्ण की जाती है। तब जाकर समस्त कार्यवाही व जॉच करने के उपरान्त फिल्ड मैनेजर द्वारा अन्तिम रूप से अपनी आख्या प्रस्तुत की जाती है तथा फिल्ड आफिसर/रिलेशन शिप एक्जिक्यूटिव की संतुष्टि के उपरान्त ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण के लिए योग्य या अयोग्य माना जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई प्रतिरूपण नहीं किया गया है, न ही प्रतिरूपण द्वारा कोई छल कारित करने का कोई साक्ष्य ही आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध विवेचक महोदय को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 419 भा०द०वि० का अपराध गठित नहीं होता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई छल नहीं किया गया है, और न ही छल द्वारा किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण किया गया है और न ही किसी सम्पत्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से किसी को उत्प्रेरित किया गया है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420 भा०द०वि० का अपराध गठित नहीं होता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अन्यरण या धन आदि प्राप्त करने के प्राधिकार से कोई कूटरचना नहीं की गयी है न ही इस तरह का कोई साक्ष्य आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध विवेचक महोदय को प्राप्त है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा–467 भा०द०वि० का अपराध गठित नहीं होता है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध किया गया है। कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है तथा दौरान विवेचना नाम प्रकाश में आया है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा विवेचना में सहयोग किये जाने का कथन किया गया है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है। अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

7– आवेदक/अभियुक्त संजीव कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक अभियुक्त को न्यायालय के समन पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने

की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा मुबलिग 50,000/–(पचास हजार रूपये) का स्वबन्ध पत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर उसे दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा एवं न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा,

2. यदि आवेदक/अभियुक्त के पास पासपोर्ट है तो वह इसे विवेचक/सम्बन्धित न्यायालय में जमा करायेगा,

3. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों/आरोप विरचित किये जाने, विचारण व निर्णय आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

4. आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बंध–पत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा,

5. आवेदक/अभियुक्त उस अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा,

6. आवेदक/अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी। इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 05.06.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP01889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.05 16:17:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court